राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Email – cmsmsa2018@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/सामु. गति./बाल सभा/2018–19/ 1197 दिनांक 10/5/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय : दिनांक 09.05.2019 को आयोजित की गई सामुदायिक बाल सभा/बालोत्सव के संदर्भ में फोलोअप कार्यवाही।

आप सभी के सकारात्मक प्रयास और परिश्रम के अनुकूल दिनांक 09.05.2019 को प्रदेश के सभी विद्यालयों में बाल सभाओं का आयोजन उत्साह पूर्वक सफलता से किया जा चुका है। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया और सभी के द्वारा प्रवेशोत्सव, बाल सुरक्षा, गुणात्मक शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई तथा मेधावी बालक बालिकाओं व भामाशाओं को सम्मानित किया गया। इन बाल सभाओं में शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिभा प्रदर्शन भी किया गया। बाल सभाओं के सफल आयोजन से शिक्षा में जनसहभागिता बढ़ी है, बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ है और शिक्षा समाज के सभी वर्गों और सभी राजकीय विभागों की चिन्तन का विषय बनी है।

प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण के अन्तिम दिवस आयोजित इन बालसभाओं के पश्चात आप निम्नानुसार फोलोअप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

- ऐसे भामाशाह जिन्होंने इन बाल सभाओं में विद्यालयों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है अथवा करने की घोषणा की है उन्हें विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा आभार पत्र प्रेषित किया जावें।
- प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण की सुगठित कार्ययोजना विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा बनाई जावें। जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापकों को कार्य/क्षेत्र का आवंटन किया जायें।
- आपके जिले में इस आयोजन से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों (सकारात्मक, नकारात्मक दोनों) का संधारण जिला स्तर पर करते हुये दस्तावेजीकरण किया जावें। इस दस्तावेज में बालसभाओं की सफलता जिन अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में विजट किया उनके नाम तथा भामाशाओं द्वारा दी गई राशि, उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि की जानकारी हो।
- जिला स्तर पर तैयार किये गये इस दस्तावेज की एक प्रति बाइडिंग कराकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की सामुदायिक गतिशीलता शाखा को प्रेषित की जावें।
- जिन विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया गया है। ऐसे विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को कारण बताओं नोटिस देते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner